भारत के आधे किसान परिवारों पर कर्ज़, औसत बकाया 74,121 रुपये

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन एस ओ) द्वारा किए गए सर्वेक्षण 'ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों की स्थिति और परिवारों की भूमि और पशुधन धृतियों का मूल्यांकन, 2019' के निष्कर्षों के अनुसार भारत के आधे कृषि परिवारों (50.2 प्रतिशत) पर बकाया ऋण है। सर्वेक्षण के अनुसार, प्रति कृषि परिवार औसत कर्ज़ 74,121 रुपये है।

आंध्र प्रदेश में प्रति कृषि परिवार सबसे अधिक औसत कर्ज़ है, इसके बाद केरल और पंजाब का स्थान है। सर्वेक्षण के अनुसार, 2019 में आंध्र प्रदेश में प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण की औसत राशि 2,45,554 रुपये थी। राज्य में कुल 93.2 प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज़ में थे।

केरल में प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण की औसत राशि 2,42,482 रुपये थी, जबकि इसके 69.9 प्रतिशत किसान परिवार कर्ज़ में थे। पंजाब में प्रति कृषि परिवार का औसत बकाया ऋण 2,03,249 रुपये था और इसके 54.4 फीसदी किसान परिवार कर्ज़ में थे।

सर्वेक्षण के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों नगालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि सबसे कम थी। नगालैंड में प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण की औसत राशि सबसे कम 1,750 रुपये थी। राज्य के केवल 6 प्रतिशत किसान परिवार ऋणी थे।

मेघालय पर प्रति कृषि परिवार 2,237 रुपये का बकाया ऋण था, जिसमें 9.1 प्रतिशत किसान परिवार कर्ज़ में थे। अरुणाचल प्रदेश में प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण की औसत राशि 3,581 रुपये थी और इसके खेती करने वाले 12.5 प्रतिशत परिवार कर्ज़दार थे।

कृषक परिवारों के कर्ज़ की मुख्य विशेषताएं

- कुल कर्ज़दार कृषि परिवारः 50.2 प्रतिशत
- प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशिः 74,121 रुपये
- बकाया ऋण का 69.6 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों (बैंक, सहकारी समिति और सरकार आदि) से लिया गया था
- 20.5 प्रतिशत ऋण कृषि/पेशेवर साहूकारों से थे
- 57.5 प्रतिशत ऋण कृषि उद्देश्यों के लिए गए